न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारीः नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 107 / 2017 / जैसलमेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
किसन गोपाल पुत्र श्री यादवनाथ जाति ब्राहमण उम्र 80 साल निवासी जैसलमेर तहसील जैसलमेर जिला जैसलमेर।	बनाम	1.राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान जिला कलक्टर जैसलमेर 2.श्रीमान तहसीलदार फतेहगढ़ जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 47 / 2015 बनवान किसन गोपाल बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.07.2017 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री अब्दुल रहमान मेहर अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 20.09.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट / वादी भूमिहीन किसान होने के कारण तहसीलदार जैसलमेर के समक्ष उसके द्वारा भूमि आवंटन करने के लिये प्रार्थना–पत्र नियमानुसार दिनांक 14.05.1968 को पेश किया गया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 26.05.1968 को रिपोर्ट की गयी, तत्कालीन कमेटी की राय से वादी को 10 साल के लिये ग्राम मोढा गणेशपुरा में 75 बीघा भूमि आवंटन किये जाने का निर्णय लिया और उसके पश्चात तहसीलदार जैसलमेर द्वारा दिनांक 10.06.1968 को धारा 101 के अधीन भूमि आवंटन की जो ग्राम मोढा गणेशपुरा मे पड़त सरकार बीघा 75 बाजरिया किस्म की आवंटित की गयी जिसके उत्तर में पड़त, दक्षिण में पड़त, पर्वू में पड़त व पश्चिम में पड़त है। उक्त आवंटन के पश्चात कब्जा देने के लिये पटवारी हल्का को आदेशित किया गया और वादी किसन गोपाल से एलोटमेंट की सनद् फीस लेकर रेकर्ड मे अमल दरामद करने के लिये आदेश दिया गया और एलोटमेंट की गयी भूमि का कब्जा उसे सुपुर्द करना लिखा गया तथा तामील रिपोर्ट 15 दिन मे पेश करने का लिखा गया कि पटवारी हल्का इन्तकाल खोला जाकर भूमि गैर खातेदारी दर्ज करे इस आदेश की पालना मे क्रमांक / राजस्व / 68 / 2069–71 दिनांक 15.11.1968 को पटवारी हल्का व राजस्व लेखा लिपिक को सूचना दी गयी और यह भूमि 10 साल के लिये आवंटित की जाने के लिये तहसीलदार जैसलमेर ने आदेश दिया, तहसीलदार जैसलमेर के आदेश की कोई पालना नहीं की गई। वादी / अपीलांट मुताबिक आवंटन अपीलाधीन आराजी पर काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर पेश रिकॉर्ड का अवलोकन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। आवंटन आदेश दिनांक 10.06.1968 को

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर कैम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner

होने के बाद वादी/अपीलांट को सलंग्न नक्शा अनुसार कब्जा दिया गया, सनद फीस वसूली गयी, एक बार राज्य पक्ष द्वारा आवंटन कर सनद फीस वसूल कर कब्जा देने के बाद किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा जब तक उस आवंटन को खारिज नहीं कर दिया जाता है तब तक उसके आधार पर काबिज व्यक्ति को गैरकानूनी नहीं माना जा सकता है, नक्शा मे चारो हदूद वर्णित है, कब्जा देना वर्णित है ऐसे मे उक्त भूमि पर काबिज बतौर खातेदार अपीलांट का होना साबित व प्रमाणित होता है। आवंटन अस्तित्व में होते हुए, विधिवत दस्तावेज होते हुए, उसे नही मानने का कारण भी दर्शित नहीं किया है, जिसे नहीं मानने का कोई कारण दर्शित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार विवेचन भी नहीं किया गया है, गवाहन के ब्यानों का जिक्र तक नहीं किया है किस गवाह ने क्या साक्ष्य दी है उस साक्ष्य को नहीं मानने का क्या कारण है, उल्लेख नहीं किया है। राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने की जिम्मेदारी राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की होती है उन्होने सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश करने के बाद भी आदेश के अनुसार दरामद नहीं किया जिसकी सजा अपीलांट को देना उचित नहीं है। अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत नहीं होकर प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरित जाकर पारित किया गया है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर पेश रिकॉर्ड का अवलोकन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। आवंटन आदेश दिनांक 10.06.1968 को होने के बाद वादी/अपीलांट को सलंग्न नक्शा अनुसार कब्जा दिया गया, सनद फीस वसूली गयी, एक बार राज्य पक्ष द्वारा आवंटन कर सनद फीस वसूल कर कब्जा देने के बाद किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा जब तक उस आवंटन को खारिज नहीं कर दिया जाता है तब तक उसके आधार पर काबिज व्यक्ति को गैरकानूनी नहीं माना जा सकता है, नक्शा मे चारो हदूद वर्णित है, कब्जा देना वर्णित है ऐसे मे उक्त भूमि पर काबिज बतौर खातेदार अपीलांट का होना साबित व प्रमाणित होता है। आवंटन अस्तित्व में होते हुए, विधिवत दस्तावेज होते हुए, उसे नही मानने का कारण भी दर्शित नहीं किया है, जिसे नहीं मानने का कोई कारण दर्शित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार विवेचन भी नहीं किया गया है, गवाहन के ब्यानों का जिक्र तक नहीं किया है किस गवाह ने क्या साक्ष्य दी है उस साक्ष्य को नहीं मानने का क्या कारण है, उल्लेख नहीं किया है। राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने की जिम्मेदारी राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की होती है उन्होने सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी कैम्प जैसलमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर
कैम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner

करने के बाद भी आदेश के अनुसार दरामद नहीं किया जिसकी सजा अपीलांट को देना उचित नहीं है। अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत नहीं होकर प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरित जाकर पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट/वादी को आवंटन भूमि के तहत आवंटन नियमों की शर्तों की पालना नहीं करने से हल्का पटवारी द्वारा कब्जा नहीं दिया गया होगा। यदि आवंटन नियमों की शर्तों की पालना की होती तो वादग्रस्त आराजी का अंकन वादी के खाते में होता। आवंटित भूमि वर्तमान वादग्रस्त भूमि होती तो इसका मिलान खसरा तुलनात्मक रजिस्टर से मिलान होता जिसे वादी/अपीलांट ने पेश ही नहीं किया। वादग्रस्त भूमि अपीलांट/वादी को आवंटित भूमि नहीं है। अपीलांट/वादी साफ हाथों से न्यायालय में नहीं आया है। अपीलांट/वादी को अतिक्रमण के आधार पर राजकीय भूमि पर खातेदारी नही दी जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है वह विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अतः अपीलांट की अपील अस्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। अपीलांट 80 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है वह अक्सर बी पी, सुगर व हार्ड का पेसेन्ट होने से उसे बराबर मेडिकल एड मे रहना पड़ता है जिससे वह बाहर आने जाने की स्थिति में नही होने से अपील निर्धारित समयावधि में पेश नहीं कर सका था जिससे उसने जानबूझकर किसी प्रकार की गलती या लापरवाही नहीं की है। अतः अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक है अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्राथी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपली पेश करने में हुई देरी का कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन के देरी का विवरण नहीं बताया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधिवक्त अपीलांट के कथन पर विश्वास करते हुए हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर
कैम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner

जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलाधीन आराजी राजकीय भूमि है जिस पर खातेदारी अधिकार पैदा नहीं होते। अपीलांट/वादी स्वयं जिरह में स्वीकार कर रहा है कि "आदेश के माफिक कब्जा नहीं दिया क्योंकि सेटलमेंट का नए खसरों का रेकर्ड व खसरा आया नहीं आने पर कब्जा दूंगा। तरमीम नहीं हुई। अपीलांट/वादी खुद इस बात को स्वीकार करता है कि वादग्रस्त आराजी पर हमने कभी–भी काश्त नहीं की है। हल्का पटवारी अपने बयान में बताते है कि वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 22 रकबा 84.08 बीघा राजकीय भूमि है किसी को आवंटन नहीं है। अपीलांट/वादी को दिनांक 10.06.1968 को तहसील जैसलमेर में हुई आवंटन कमेटी की बैठक में लिए गये निर्णय अनुसार जारी आदेश क्रमांक/राजस्व/68/2069–71 दिनांक 15.11.1968 में खसरा नंबर का उल्लेख नहीं जिससे यह ज्ञात हो सके कि स्थाई सेटलमेंट में कौनसा खसरा बना। न ही वादी/अपीलांट ने ऐसा कोई दस्तावेज या खसरा तुलनात्मक रजिस्टर की प्रति पेश की गई है जिससे यह ज्ञात हो सके की आवंटित भूमि वर्तमान खसरा संख्या 22 की भूमि है। अपीलांट/वादी की वर्तमान में जमीन के किमतों में वृद्धि होने से राजकीय भूमि हड़पने की नियत से हस्तगत दावा पेश किया गया है। अपीलांट/वादी का वादग्रस्त आराजी पर कभी कोई 91 दर्ज नहीं हुआ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 47/2015 बनवान किसन गोपाल बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.07.2017 को यथावत रखा जाता है।

20/9/19

(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर कैम्प जैसलमेर

यह आदेश आज दिनांक 20.09.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/9/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर कैम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner